

कार्यालय निदेशक सहायक शिक्षा हरियाणा पणडो मंड

आदेश क्रमांक 23/62-2000 दि 11/31

दिनांक 8.3.2000

पुलिस डी. वी. पब्लिक स्कूल अम्बाला शहर की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 10 वीं स्तर की सहायता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त पर जारी किया जाता है कि विधार्थी समय समय पर जारी की जाने वाली स्त विभाग की विद्यार्थी की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा संवत् 1995 के जो लक्ष्य दोगे वह विधार्थी को मान्य होंगे।

विभागीय विद्यार्थी की पालना न करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लिया जा सकता है।

प्रमाणित महापान

निदेशक सहायक शिक्षा हरियाणा

पृष्ठान्त क्रमांक तम दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाार्थ स्व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

जिला शिक्षा अधिकारी अम्बाला को उनके यादी क्रमांक जी-2/99/4034 दिनांक 24-12-99 के तदर्थ में।

प्राचार्य पुलिस डी वी पब्लिक स्कूल अम्बाला शहर।

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर प्रीत विहार नई दिल्ली 110092.

8.3.2000
सहायक निदेशक विद्यालय-1

वृत्त निदेशक सहायक शिक्षा हरियाणा पणडो मंड

21/5/25
PRINCIPAL
POLICE D.V. PUBLIC SCHOOL
AMBALA CITY.